कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम(छ0ग0)

Phone 07741-232895, Fax No- 07741-232987, E-Mail : zp-kawardha.cg@nic.in

बिहान

क्रमांक/ 1193 /जि.पं./NRLM/2024-25 कबीरधाम, दिनांक 07/03 /2025

//विज्ञापन//

मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक 3357/वि–6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक–17.01.2025 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम के आदेश क्रमांक/1186/कबीरधाम, दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रदाय अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत जिला स्तर पर लेखा सह एमआईएस सहायक (01 पद) एवं विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक (01 पद), क्षेत्रीय समन्वयक (03 पद) एवं लेखा सह एमआईएस सहायक (01 पद) रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 27.03.2025 को कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेजों तथा नवीनतम स्व–प्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम, जिला कबीरधाम छ.ग. के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेगें एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वमेंव निरस्त माना जावेगा।

- **पदों का विवरण :–**

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पद	रिक्त पद की वर्गवार जानकारी			
			अनारक्षित (मुक्त)	अ.पि.वर्ग (मुक्त)	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	अनुसूचित जाति (मुक्त)
जिला स्तर हेतु						
01	लेखा सह MIS सहायक	01	01	00	00	00
विकासखण्ड स्तर हेतु						
01	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	01	01	00	00	00
02	क्षेत्रीय समन्वयक	03	02	01	00	00
03	लेखा सह MIS सहायक	01	00	00	01	00

अ. जिला स्तर के पद :–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
01	लेखा सह MIS सहायक	23,350	**शिक्षा–** 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनिवार्य न्यूनतम अनुभव–** स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/ अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/ शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव। **(उपरोक्त वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नही किया जावेगा)**	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10

ब. विकासखंड स्तर के पद :–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100) विवरण	अंक
1	2	3	9	10	11
01	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875	**शिक्षा**–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था रो स्नातकोत्तर/रामकक्ष उपाधि। **अनिवार्य न्यूनतम अनुभव**– स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकाराखण्ड/क्लस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित/ शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव। **(उपरोक्त वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नही किया जावेगा)**	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	10
02	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट। **अनिवार्य न्यूनतम अनुभव** – स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन/ आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/ शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव। **(उपरोक्त वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नही किया जावेगा)**	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10
03	लेखा सह MIS सहायक	23,350	**शिक्षा**– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनिवार्य न्यूनतम अनुभव**– स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव। **(उपरोक्त वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नही किया जावेगा)**	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10

नियम एवं शर्तेः—

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन सिर्फ पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 27.03.2025 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जिला पंचायत कबीरधाम कार्यालय में ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. रिक्त पदों के लिये विकासखण्डवार एवं पदवार अलग—अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रू. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक—पृथक आवेदन करना होगा।
4. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय—समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण—पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन—पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9—1/2012/1—3 दिनांक— 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु—लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. अनुभव प्रमाण—पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर—शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। समकक्ष पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा— जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। अनुभव प्रमाण—पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 03 माह का प्रमाणित पे—स्लीप एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य /अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।

17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पद से संबंधित समकक्ष कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।
18. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता कम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
19. विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जावेगा।
20. क्षेत्रीय समन्वयक पद हेतु लिखित/कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
21. लेखा सह MIS सहायक पद हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
22. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
23. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
24. शासकीय/गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
25. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
26. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।
27. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
28. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
29. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
30. विज्ञापन में पदवार जिले का रोस्टर लागू होगा। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
31. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत कबीरधाम छ.ग. के सूचना पटल, जिला प्रशासन कबीरधाम के वेबसाइट **www.kawardha.gov.in**, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट **www.bihan.gov.in** से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।
32. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
33. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
34. मिशन संचालक SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर, के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कबीरधाम

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम — ....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत — कबीरधाम
पिनकोड — 491995

आवेदक नवीनतम स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं

1. आवेदक का पूरा नाम— अ. (हिन्दी में) :—..
   ब. (अंग्रेजी में) :—..
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :—..
3. लिंग (महिला/ पुरूष/तृतीय लिंग) :—..
4. जन्मतिथि अ. (अंको में) :—..
   ब. (शब्दों में) :—..
   स. दिनांक 01.01.2025 को आयु :— वर्ष ....माह ....दिन ....
   (हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अपिव) :—..
6. पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :—..
   :—..
   दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नं. :—..
   ई—मेल (यदि हो तो) :—..
7. पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :—..
   :—..
8. राष्ट्रीयता :— ....
9. आधार नंबर :— ....
10. मूल निवासी/जन्म स्थान :— ....
11. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :—

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्व विद्यालय /संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	10 वी.						
2	12 वी.						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5							
6							

12. अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7

13. **वैवाहिक स्थिति :–**

क. विवाहित / अविवाहित :– ....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावें :–

विवाह का दिनांक :– ....

ग. परिवार के संतान का विवरण :–

क.	नाम	पुत्र / पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			
3.			

14. **संलग्नों प्रमाण पत्रों की सूची :–**

अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लीप / बैंक स्टेटमेंट।

1.. 2. .... 3 ....

4. .... 5. .... 6 ....

7 .... 8. .... 9. ....

10..

स्थान :–

दिनांक :–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम – ....

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :–

दिनांक :–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम – ....